न्यायालय : राजस्व मंडल, ग्वालियर

प्रकरण क्रं. / /2017 निगरानी

1- प्रह्लाद

2- शिवराम

3- भगवानदास

पुत्रगण गोपीचन्द्र

4- गोपीचन्द पुत्र कलुआ

समस्त निवासीगण ग्राम प्रतापपुरा, तहसील लौंडी, जिला छतरपुर म.प्र.

-- आवेदक

विरूद्व

1. बल्ली पुत्र अमरपाल
2. बाबूपाल पुत्र पूरनपाल

   निवासीगण प्रतापपुरा तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र.
3. बटना पुत्री अजुध्या पाल
4. झण्डी पुत्री अजुध्या पाल
5. रामबाई पुत्री अजुध्यापाल
6. अमरेश पुत्र भीषम पाल
7. तिजिया पुत्री रामफल
8. सरोज पत्नि गोपाल अनुरागी
9. रमकलिया पत्नि प्यारेलाल

   समस्त निवासीगण प्रतापुरा
10. सुखना पत्नि मुन्नापाल निवासी हसंपरत तहसील लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र.

-- अनावेदकगण

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0 संहिता 1959 विरूद्व आदेश दिनांक 21.07.17 द्वारा पारित अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर, जिला छतरपुर म.प्र. प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2016–2017 में पारित।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्नलिखित हैः–

1. यह कि, प्रकरण तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क.1 व 2 ने तहसीलदार तहसील लवकुश नगर जिला–छतरपुर के आदेश दिनांक 18.05.2017 के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिसे अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2016–2017 में दर्ज कर दिनांक 21.07.2017 को तहसीलदार लवकुश नगर का अभिलेख मंगाकर अपील निराकरण तक भूमि का विक्रय न किये जाने बावत् स्थगन आदेश पारित कर दिया है जिससे परिवेदित होकर आवेदकगण अन्य आधारों के अतिरिक्त निम्न आधारों पर अपनी निगरानी प्रस्तुत करते हैं:–

आधार निगरानी –

(1) यह कि, अनुविभागीय अधिकारी लवकुश नगर ने आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 52 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 का निराकरण उचित रूप से नहीं किया है और धारा 52 के उपबंधों के विपरीत आदेश पारित किया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।

(2) यह कि, धारा 52 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 जो कि आदेशों के निष्पादन को रोके जाने संबंधित है जिसमें धारा 52(2) एवं परन्तुक के अनुसार स्थगन आदेश एक बार में 3 माह से अधिक के लिए या अगली सुनवाई की तारीख तक जो भी पूर्वोत्तर हो, नहीं रोका जायेगा। (धारा 52)

(3) यहकि धारा 52 म.प्र.भ.रा.सं.1959 आदेशों के निष्पादन क रोका

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 3

प्रकरण क्रमांक- एक/निग./छतरपुर/भू.रा./ 2017/2592

प्रहलाद आदि विरूद्ध बल्ली आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
09-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री प्रदीप श्रीवास्तव उपस्थित। आवेदक अभिभाषक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी लवकुशनगर,जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 99/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-07-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 09-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. अनुविभागीय अधिकारी, जिला-छतरपुर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर	

09/1/19

छतरपुर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

5. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर छतरपुर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 27-02-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में प्रस्तुत हो।

6. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर छतरपुर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 09/01/19
सदस्य